

सं रा.बैं.प्र.का/सरकारी योजना विभाग/ 15344 /न्यूएएमआई-1/2025-26

28 अप्रैल 2025

परिपत्र संख्या: 111 / सरकारी योजना विभाग-01 / 2025

अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

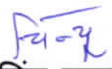
महोदया / प्रिय महोदय,

अनुलग्नक XX - वित्तीय संस्थाओं द्वारा घोषणा

हमारे परिपत्र संख्या 181/डीओआर-31/2024 दिनांक 11 सितंबर 2024 के अनुक्रम में, हम एएमआई योजना के तहत एकीकृत परियोजनाओं के लिए सब्सिडी का दावा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनुलग्नक XX (घोषणा पत्र) का प्रारूप अग्रेषित करते हैं, जिनके लिए सावधि ऋण 01.10.2024 को या उसके बाद स्वीकृत किया गया है।

2. कृपया तदनुसार अपने नियंत्रक कार्यालयों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों के मामले में) तथा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को सूचित करें।

भवदीय


(चिंचू खान)
महाप्रबंधक

संगलंक : उपरोक्त अनुसार

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

सरकारी योजना विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0090 • ई मेल: gsd@nabard.org

Government Schemes Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 2653 0090 • E-mail: gsd@nabard.org

अ. एकीकृत परियोजनाएं (अग्रिम सब्सिडी) – वित्तीय संस्थान हेतु घोषणा

आईएसएम की कृषि विपणन आधारभूत संरचना (एएमआई) की उप योजना के संबंध में अग्रिम सब्सिडी जारी करने के लिए बैंक की वित्त पोषण शाखा से अपने नियंत्रक कार्यालय के माध्यम समेकित दावा प्रपत्र

परियोजना का नाम :

प्रमोटर का नाम :

वित्त पोषण बैंक और शाखा का नाम :

परियोजना विवरण		
1	एंशियर यूआरएन (विशेष संदर्भ संख्या)*	
2	परियोजना का पूरा पता ब्लॉक सहित	
3	परियोजना का प्रकार (गतिविधि)*	एकीकृत
4	परियोजना का प्रकार (उप गतिविधि – भंडारण)*	ग्रामीण गोदाम
5	परियोजना का प्रकार (उप गतिविधि – भंडारण के अलावा)	कार्यात्मक आधारभूत संरचना, अन्य आधारभूत संरचना (कृपया उल्लेख करें)
6	क्या गोदाम परियोजना का हिस्सा है?	हाँ
7	क्या पहाड़ी क्षेत्र (पहाड़ी क्षेत्र समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक स्थान है)*	हाँ/ नहीं
8	क्या यह जनजातीय क्षेत्र है*	हाँ/ नहीं
9	भूमि जिस पर इकाई स्थापित की गई है (स्वयं/पट्टे पर) *	स्वयं/ पट्टे पर
10	पट्टेदार प्रकार*	शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) / राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना निगम (आईडीआईसी)/ एमओएफपीआई द्वारा स्वीकृत खाद्य पार्क / अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी / अन्य

11	पट्टे पर ली गई भूमि की समय-सीमा/अवधि वर्षों में (परियोजना के मीयादी ऋण की मंजूरी की तारीख से)*	
12	बाजार मूल्य/ क्रय मूल्य (स्वामित्व वाली भूमि)	रु.
13	लीज प्रीमियम/एक बारगी लागत (यूडीए/आईडीआईसी/फूड पार्क)*	रु.
14	क्या परियोजना नगर निगम क्षेत्र के बाहर है	
15	परियोजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या	

प्रमोटर विवरण

1	लाभार्थी का प्रकार*	वैयक्तिक/राज्य सरकार विभाग/ग्राम पंचायत/पैक्स/एससीएआरडीबी/राज्य सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य के स्वामित्व वाले निगम/अर्बन कॉप बैंक/अन्य स्थानीय और अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/आरआरबी/वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन/उत्पादक संगठन या कॉप/मिल्क यूनियन/मिल्क फेडरेशन/एसएचजी/एसएचजी फेडरेशन/अन्य पंजीकृत फेडरेशन/प्राइवेट बैंक/पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाइटी
2	क्या पंजीकृत एफपीओ/पंचायत/महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/एसएचजी (एससी/एसटी) सहकारी समितियां, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है*?	हाँ/ नहीं
3	लिंग (यदि साझेदारी फर्म/सह-उधारकर्ता में सदस्य भी पुरुष है, तो पुरुष का चयन करें)*	1 पुरुष/महिला
4	वर्ग	सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा/पूर्वोत्तर क्षेत्र-सामा/पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनु.जा/ पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनु.जन.जा

कार्यों का कैलेंडर

1	वित्तीय संस्थान द्वारा मीयादी ऋण की मंजूरी की तिथि*	
2	ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तिथि*	
3	न्यूनतम अवरुद्धता अवधि *	
4	लाभार्थी द्वारा भुगतान की अंतिम किस्त की तिथि*	

गोदाम परिमाण							
आयताकार/वर्गाकार गोदाम – भूतल	चैबर रूफ़ का प्रकार	औसतम ऊंचाई 4.5 मीटर से अधिक			औसतम ऊंचाई 4.5 मीटर से कम		
		लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	मीट्रिक टन में क्षमता	ऊंचाई (मीटर में)	आयतन (घन मीटर)	मीट्रिक टन में क्षमता
1 चैबर 1*	आरसीसी/अन्य						
2 चैबर 2	आरसीसी/अन्य						
कुल		यहां कोई कुल नहीं होगा	यहां कोई कुल नहीं होगा				

4. प्लिंथ हाइट (फुट में):

5. प्लिंथ अनुमान (फुट में):

परियोजना वित्त पोषण विवरण- भंडारण आधारभूत संरचना के अलावा अन्य			
		परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रु.)	वित्तीय संस्था (रु) द्वारा यथा अनुमोदित
1	घटक का विवरण		
A	संयंत्र और मशीनरी		
B	अन्य आधारभूत संरचना (कृपया उल्लेख करें)		
	i)		
	ii)		
2	सिविल संरचना		
	कुल		

वित्त-पोषण/ सब्सिडी के साधनों का विवरण		
1	एफआई के अनुसार टीएफओ	रु.
2	मीयादी ऋण की मंजूरी से पूर्व प्रमोटर का योगदान	रु.
3	मीयादी ऋण की मंजूरी के बाद प्रमोटर का योगदान	रु.
4	कुल प्रमोटर का योगदान	रु.
5	मीयादी ऋण	रु.
6	ऋण मंजूरी पत्र	अपलोड किया जाए
7	टीएफओ मीयादी ऋण की मंजूरी से पहले माजन का निवल	रु.

8	कुल सब्सिडी की गणना	रु.
9	अग्रिम सब्सिडी की गणना	रु.
10	अनुलग्नक XVIII के अनुसार नोटरी किए गए शपथ पत्र	अपलोड किया जाए

1. हम आईएसएम की एएमआई उप-योजना के परिचालन दिशानिर्देश 2018 में निहित सभी निर्देशों और इसके तहत जारी किए गए स्पष्टीकरणों का अनुपालन का वचन देते हैं.

2. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त परियोजना के संबंध में अग्रिम सब्सिडी के रूप में रु.

...../-

(रुपए

.....)

की राशि जारी करें.

3. हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि इस दस्तावेज़ में दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सटीक है.

स्थान:

दिनांक:

शाखा प्रबंधक
मुहर और हस्ताक्षर

नियंत्रक अधिकारी
मुहर एवं हस्ताक्षर

ख. एकीकृत परियोजना (अंतिम सब्सिडी) -वित्तीय संस्थान हेतु घोषणा

आईएसएम की कृषि विपणन आधारभूत संरचना (एएमआई) की उप योजना के संबंध में अंतिम सब्सिडी जारी करने के लिए बैंक की वित्त पोषण शाखा से अपने नियंत्रण कार्यालय के माध्यम समेकित दावा प्रपत्र

परियोजना का नाम:

प्रमोटर का नाम:

वित्तपोषण बैंक और शाखा का नाम:

परियोजना विवरण		
1	एंशयोर यूआरएन (विशेष संदर्भ संख्या)	
2	परियोजना का पूरा पता ब्लॉक सहित*	
3	परियोजना का प्रकार (गतिविधि)*	एकीकृत परियोजना
4	परियोजना का प्रकार (उप गतिविधि- भंडारण)*	ग्रामीण गोदाम
5	परियोजना का प्रकार (उप गतिविधि- भंडारण के अलावा)*	कार्यात्मक आधारभूत संरचना, अन्य आधारभूत संरचना (कृपया उल्लेख करें)
6	क्या गोदाम परियोजना का हिस्सा है?	हाँ
7	क्या पहाड़ी क्षेत्र (पहाड़ी क्षेत्र समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक स्थान है)	हाँ/ नहीं
8	क्या यह जनजातीय क्षेत्र है?	हाँ/ नहीं
9	भूमि जिस पर इकाई स्थापित की गई है (स्वयं/पट्टे पर)*	खुद का/पट्टे पर
10	पट्टेदार प्रकार*	शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) / राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों के औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना निगम (आईडीआईसी) / एमओएफपीआई द्वारा स्वीकृत खाद्य पार्क / अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी / अन्य
11	पट्टे पर ली गई भूमि की अवधि/अवधि वर्षों में (परियोजना के मीयादी ऋण की मंजूरी की तारीख से) *	
12	बाजार मूल्य/खरीद मूल्य (स्वामित्व वाली भूमि)*	रु.

13	लीज प्रीमियम/एक बार की लागत (यूडीए/आईडीआईसी/फूड पार्क)	रु.
----	---	-----

प्रमोटर विवरण		
1	लाभार्थी का प्रकार*	वैयक्तिक/राज्य सरकार विभाग/ग्राम पंचायत/पैक्स/एससीएआरडीबी/स्टेट कॉप बैंक/डीसीसीबी/राज्य के स्वामित्व वाले निगम/अर्बन कॉप बैंक/अन्य स्थानीय और अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/आरआरबी/वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन/उत्पादक संगठन या कॉप/मिल्क यूनियन/मिल्क फेडरेशन/एसएचजी/एसएचजी फेडरेशन/अन्य पंजीकृत फेडरेशन/प्राइवेट बैंक/पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाइटी
2	क्या पंजीकृत एफपीओ/पंचायत/महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/एसएचजी (एससी/एसटी) सहकारी समितियां, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है*?	हाँ/नहीं
3	लिंग (यदि साझेदारी फर्म/सह-उधारकर्ता में सदस्य भी पुरुष है, तो पुरुष का चयन करें)*	1 पुरुष/महिला
4	वर्ग	सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा/पूर्वोत्तर क्षेत्र-सामा/पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनु.जा/ पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनु.जन.जा
कार्यों का कैलेंडर		
1	वित्तीय संस्थान द्वारा मीयादी ऋण की मंजूरी की तिथि*	
2	ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तिथि*	
3	न्यूनतम अवरुद्धता अवधि *	
4	लाभार्थी द्वारा भुगतान की अंतिम किस्त की तिथि*	
5	परियोजना के पूरा होने की तिथि	
6	मदवार वास्तविक व्यय प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि	
7	परियोजना के पूरा होने की तिथि (5 और 6 के पश्चात)	
8	बैंक द्वारा निरीक्षण की तिथि	
9	वित्तीय संस्था के प्रबंधक की निरीक्षण रिपोर्ट	अपलोड किया जाए
10	वास्तविक व्यय प्रमाणपत्र	अपलोड किया जाए

गोदाम परिमाण							
आयताकार/वर्गाकार गोदाम – भूतल	चैंबर रूफ़ का प्रकार	औसतम ऊंचाई 4.5 मीटर से अधिक			औसतम ऊंचाई 4.5 मीटर से कम		
		लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	मीट्रिक टन में क्षमता	ऊंचाई (मीटर में)	ऊंचाई (मीटर में)	मीट्रिक टन में क्षमता
1 चैंबर 1*	आरसीसी/अन्य						
2 चैंबर 2	आरसीसी/अन्य						
कुल		यहां कोई कुल नहीं होगा	यहां कोई कुल नहीं होगा	यहां कोई कुल नहीं होगा			

4. प्लिंथ हाइट (फुट में)

5. प्लिंथ अनुमान (फुट में)

6. 1000 मीट्रिक टन से अधिक के गोदामों के लिए डब्ल्यूडीआरए पंजीकरण अपलोड किया जाए.

परियोजना वित्त पोषण विवरण- भंडारण आधारभूत संरचना के अलावा कार्यात्मक		
	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रु.)	वित्तीय संस्थान द्वारा यथा अनुमोदित (रु.)
घटकों का विवरण		
संयंत्र और मशीनरी		
अन्य आधारभूत संरचना (कृपया उल्लेख करें)		
i)		
ii)		
सिविल संरचना		
कुल		

वित्त-पोषण/ सब्सिडी के साधनों का विवरण		
1	वित्तीय संस्थान के अनुसार टीएफओ	रु.
2	मीयादी ऋण की मंजूरी से पूर्व प्रमोटर अंशदान	रु.
3	मीयादी ऋण की मंजूरी के बाद प्रमोटर अंशदान	रु.
4	कुल प्रमोटर योगदान	रु.
5	मीयादी ऋण	रु.
6	टीएफओ मीयादी ऋण की मंजूरी से पूर्व निवल मार्जिन	रु.
7	कुल सब्सिडी की गणना	रु.
8	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अग्रिम सब्सिडी	रु.

9	जुर्माना, यदि कोई हो	रु.
10	जारी की जाने वाली अंतिम सब्सिडी	रु.

1. हम आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के परिचालन दिशानिर्देश 2018 में निहित सभी निर्देशों और इसके तहत जारी किए गए स्पष्टीकरणों का अनुपालन का वचन देते हैं.

2. प्रमाणित किया गया है कि परियोजना केवल मीयादी ऋण की मंजूरी के बाद शुरू की गई है.

3. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त परियोजना के संबंध में अंतिम सब्सिडी के रूप में रु...../- (रुपए) की राशि जारी करें

4. हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि इस दस्तावेज़ में दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सटीक है.

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है और योजना के तकनीकी विनिर्देशों और वित्तीय मापदंडों के अनुरूप है और यदि बाद की किसी भी तारीख को उपर्युक्त के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो सब्सिडी तुरंत वापस कर दी जाएगी और प्रमोटर द्वारा इसकी पावती दी गई है.

स्थान

दिनांक

शाखा प्रबंधक
मुहर और हस्ताक्षर

नियंत्रक अधिकारी
मुहर एवं हस्ताक्षर